

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 22(A)/328/2016/एमपीएस/31/818
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/04/2016

- (1) कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग (समस्त जिला मुख्यालय)
- (2) कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त जिला मुख्यालय)

विषय:- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में स्टाप डेम/जल संरचनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार एवं नई परियोजनाओं का चिन्हांकन।

दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 तक प्रदेश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान प्रदेश के समस्त स्टाप डेम/तालाब/जल संरचनाओं का भौतिक सत्यापन करते हुए आवश्यकतानुसार मरम्मत/जीर्णोद्धार की व्यवस्था की जाना है। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम संसद में नवीन सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए चिन्हित किए जाने वाले स्थलों का मौका-मुआयना कर जल संसाधन विभाग के निर्धारित प्रपत्र में साध्यता की जानकारी भी दर्ज की जाना है।

2. उपरोक्त विषयक निम्नानुसार कार्रवाई हेतु आपको निर्देशित किया जाता है:-

- (i) अभियान के दौरान जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं का सम्पूर्ण निरीक्षण जल संसाधन विभाग के अभियंतागण करेंगे और विशेष मरम्मत/आरआरआर की जानकारी प्रपत्र 138(A) एवं 138(B) में जल संसाधन विभाग के वेबसाइट पर दर्ज करेंगे। आरआरआर में केवल उन्हीं परियोजनाओं को सुझाया जाए जिनमें आशातीत अतिरिक्त सिंचाई संभव हो।
- (ii) अभियान के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा सुझाई जाने वाली नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थल का निरीक्षण जल संसाधन विभाग के अभियंतागण करेंगे और उनकी साध्यता संबंधी जानकारी जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 141 में जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करेंगे। चिन्हित परियोजनाओं का सैच्य क्षेत्र कम होने के कारण जो परियोजनाएं जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हों उनकी साध्यता की जानकारी भी जल

संसाधन विभाग की वेबसाईट पर ही दर्ज की जाना है। शासन स्तर पर इन्हें पृथक करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग चिन्हित सभी परियोजनाओं की साध्यता के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत निर्धारित प्रपत्र में देंगे भले ही ऐसी परियोजनाओं का सैच्य क्षेत्र जल संसाधन विभाग की न्यूनतम सीमा 40 हेक्टर से कम हो।

(iii) जो सिंचाई परियोजनाएं जल संसाधन विभाग के अधीन नहीं है उनका भौतिक सत्यापन जल संसाधन विभाग के उपयंत्री एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपयंत्री संयुक्त रूप से करेंगे। सत्यापन के दौरान ही आवश्यकतानुसार मरम्मत/जीर्णोद्धार का प्रस्ताव और प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र 197 में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के एसओआर पर तैयार करेंगे। जिन स्टापडेम/जल संरचनाओं में मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए रु. 50,000/- से अधिक का व्यय हो उनका स्थल निरीक्षण जल संसाधन विभाग के सहायक यंत्री द्वारा तथा जिन परियोजनाओं में मरम्मत/जीर्णोद्धार का व्यय रु. 10 लाख से अधिक हो उनका निरीक्षण जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री करेंगे और उनकी अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करेंगे।

3. उपरोक्तानुसार निर्धारित 4 प्रपत्रों की जानकारी जल संसाधन विभाग की वेबसाईट पर दर्ज करने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के जिला मुख्यालय में पदस्थ संभागीय कार्यपालन की होगी।


4. मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय स्रोत निम्नानुसार होंगे:-

(i) जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जल संसाधन विभाग द्वारा नियमित रूप से उपलब्ध कराए जा रहे बजट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) अन्य विभाग/निकायों की परियोजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए धनराशि की व्यवस्था ग्राम पंचायत तथा जिला सेक्टर में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से की जाएगी। जिस विभाग/निकाय की परियोजना होगी उसकी मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य संबंधित विभाग/निकाय द्वारा ही किया जाएगा।


आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन जल संसाधन विभाग के मुख्यालय पर पदस्थ संभागीय कार्यपालन यंत्री द्वारा दिया जा सकेगा।

संलग्न:-4 प्रपत्र।


12.04.16
(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक 22(A)/328/2016/एमपीएस/31/819 भोपाल, दिनांक 12/04/2016
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/लोक निर्माण विभाग।
5. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश।


अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

PROFORMA-138(A)
SR/RRR OF WRD PROJECTS
(Stopdam/ Barrage/Anicut/Solid weir)

- Name of Project :-
 2. Block :-
 3. District :-
 4. Scheme code No. :-
 5. Year of completion :-
 6. Catchment Area (In Sq Km.) :-
 7. Live Pool Capacity (In MCM) :-
 8. River flow continues upto which month :-
 9. Max Possible Irrigation (Ha.) Rabi :-
 10. Command area Available (Ha.) :-
 11. Irrigation done in last 5 years (Ha.) :-

Year	2011	2012	2013	2014	2015
Rabi					
Kharif					

12. Additional Irrigation to be achieved (Ha.) :-
 13. Description of RRR work required :-
 14. Description of RRR work required in canal :-
 15. Requirement of gates :-
 a. Repair of gates :-
 b. Necessity of new gates :-
 16. If lining is proposed :-
 I. Why lining is essential and unavoidable :-
 II. Length of Lining in running metres :-
 III. Lining work -concrete in cubic metres :-
 17. Estimated RRR Cost :-
 I. Headworks :-
 II. Canal :-
 a) with complete lining :-
 b) without complete lining :-
 18. Recommendation :-

Sub Divisional Officer
 Water Resources Sub Division

Executive Engineer
 Water Resources Division

PROFORMA-138(B)
SR/RRR OF WRD PROJECTS
(TANK PROJECTS)

- Name of Project :-
 Block :-
 3. District :-
 4. Scheme code No. :-
 5. Year of completion :-
 6. Catchment Area (In Sq Km.) :-
 7. Live Storage Capacity (In MCM) :-
 8. Max Possible Irrigation (Ha.) Rabi @180X Col.No.7 or
 Kharif @210X Col.No.7 :-
 9. Actual Command area Available (Ha.) :-
 10. Max Possible Total Irrigation limited to Col.No.9(Ha.) :-
 11. Filling % of tank(Filling % capacity) :-

2011	2012	2013	2014	2015

12. Average Irrigation done in last 5 years (Ha.) :-

Year	2011	2012	2013	2014	2015
Rabi					
Kharif					

13. Additional Irrigation to be achieved (Ha.) :-
 14. Head work :- Description of RRR work required :-
 15. Description of RRR work required in canal :-
 16. If lining is proposed :-
 I. Why lining is essential and unavoidable :-
 II. Length of Lining in running metres :-
 III. Lining work -concrete in cubic metres :-

17. Additional Rabi Irrigation(ha) after RRR :-
 I. If Lining is done :-
 II. If Lining is not done or only selective lining is done :-

18. Estimated RRR Cost :-
 a. If without complete lining :-
 b. If with complete lining :-

19. Cost (in Rs. lakhs) :-

RRR	Others including repair of Structures etc.	Total

20. Cost Per Ha. on Additional Irrigation :-
 21. Remarks :-

Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division

Executive Engineer
Water Resources Division

PROFORMA-141

PROPOSAL FOR SANCTION FOR SURVEY AND INVESTIGATION OF IRRIGATION PROJECTS

1. Name of Proposed scheme :-
2. Block :-
3. Is the Block ST or DPAP :-
4. District :-
5. Assembly Constituency :-
6. Proposer(who suggested the scheme) :-
7. Proposed Rabi Irrigation Area :-
8. Beneficiary cultivators :- Ha.
9. Estimated Total Cost :- No.
- a. Land area in Ha.-----Rs.-----ha.costing :- Rs.
- b. Construction cost :- Rs.
10. Submergence Area Total :- Rs.
- a. Government Land :- Ha.
- b. Forest Land :- Ha.
- c. Private Land :- Ha.
- i. Irrigated :- Ha.
- ii. Unirrigated :- Ha.
11. Land needed for canals :- Ha.
- a. Government Land :- Ha.
- b. Private Land :- Ha.
12. Catchment area :- Ha.
13. Surface water quantity (as per Binnies Table) :- Kmsq.
14. Name of present E.E. :- MCM
15. Date of inspection of present E.E. :-
16. Whether E.E. certifies that he has personally verified above information and he certifies the same to be true and fair :-
17. Signature of E.E. with date :-
18. Whether S.E. agrees with the above :-
19. Signature of S.E. with date :-
20. Satisfaction and recommendation of C.E. :-
21. Signature of C.E. with date :-
22. Recommendation of EinC :-
23. Signature of EinC with date :-

स्टापडेम/जल संग्रहण संरचना की जानकारी
(जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं को छोड़कर)

(A) सामान्य जानकारी

1. जिला/ विकासखण्ड :-
2. ग्राम पंचायत :-
3. जल संरचना का नाम :-
4. जल संरचना का प्रकार :-
5. विभाग जिसकी संरचना है :- स्टापडेम/जलाशय/एनीकट/नहर/अन्य
6. परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र :-
7. परियोजना की रूपांकित जल संग्रहण क्षमता :-
8. परियोजना की वर्तमान जल संग्रहण क्षमता :-
9. जल संरचना की स्थिति :-
10. अपलेखन योग्य हो तो कारण :- अच्छी/मरम्मत योग्य/अपलेखन योग्य

(B) मरम्मत/जीर्णोद्धार प्रस्ताव

1. आवश्यक कार्य का विवरण एवं औचित्य :-
2. मरम्मत/जीर्णोद्धार से जल संग्रहण क्षमता में कितनी वृद्धि होगी(मि.घ.मी. में) :-

(C) प्राक्कलन :-

आयटम	मात्रा	दर	लागत
1. मिट्टी कार्य			
2. कांकीट कार्य (अ) गिट्टी (ब) रेत (स) सीमेंट			
3. स्टापडेम गेट (अ) गेट की आवश्यकता (ब) गेट रिपेयर			
4. मजदूरी (अ) पिचिंग कार्य (ब) बोल्टर टो कार्य (स) मिट्टी स्प्रेडिंग कार्य (द) कम्पैक्शन कार्य (ई) कांकीट कार्य			
5. अन्य			
योग			

(D) स्थल निरीक्षण

- (अ) उपयंत्री, जल संसाधन विभाग का नाम तथा स्थल निरीक्षण दिनांक :-
- (ब) उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग का नाम तथा स्थल निरीक्षण दिनांक :-
- (स) सहायक यंत्री (जल संसाधन विभाग) का नाम तथा स्थल निरीक्षण दिनांक :-
- (द) प्रस्ताव में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है सहायक यंत्री (जल संसाधन विभाग) द्वारा प्रमाणीकरण :-
- (ई) कार्यपालन यंत्री का अभिमत (आवश्यक हो तो) :-

उपयंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी विभाग

उपयंत्री
जल संसाधन उपसंभाग

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग